20/12/19 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी जा चुकी है। वास्ते आदेश, पत्रावली पेश की।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस करते हुए अपील में अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी सं. 1 से 8 द्वारा एक आवेदन SDO गोपालगढ़ के समक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा '251 क' RT Act पेश किया कि प्रत्यर्थी नं. 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी का खसरा 2/5 भूमि ग्राम अराटिया कुई

P.T.O.

सहायक अपील अधिकारी

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

गवरी .... बनाम ... बीरबल राम व अन्य

किस्म मुकदमा अपील u/s 225 RTA /LR न. 58 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की सरहद में ख.नं० 222 आई हुई है तथा अपनी खातेदारी भूमि व ढाणियों में जाने हेतु अपीलार्थी के खातेदारी भूमि ख.नं० 220 में से आते-जाते हैं। कराणी रास्ते एवं इनकी भूमि के बीच अपीलार्थी की भूमि ख.नं. 220 आती है। प्रत्यर्थीगण की भूमि में जाने हेतु अन्य कोई कराणी रास्ता नहीं है यही एकमात्र रास्ता है। दि. 14.6.2017 को अपीलार्थी ने उक्त रास्ता अवरुद्ध कर दिया इसलिए प्रार्थना-पत्र पेश कर प्रत्यर्थी सं. 1 से 8 के उनके खेत ख.नं० 222 में आने-जाने के उक्त करीबी 12 फीट रास्ते को रास्ता घोषित करने व राजस्व रिकॉर्ड में / नक्शा ट्रेस में तरमीम की जाने के आदेश फरमावें, दोनों पक्षों को सुनकर न्यायालय द्वारा दि. 12.6.2019 को प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ आदेश किया जिसके विरुद्ध अपील पेश है। इसका कहना है कि अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो विधि की मंशा के विपरीत है। अपीलार्थी SC वर्ग की महिला है जिसे परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। वास्तव में प्रत्यर्थीगण के खेत ख.नं० 222 में आने-जाने के लिए ख.नं० 215 गैर मु. गोचर में से रास्ता लगता है जो कि नजदीकी एवं सुविधायुक्त है जो ख.नं० 222 से लगता है। इस संबंध में एक मौका रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट अंकित है कि ख.नं. 222 में आने जाने के लिए ख.नं० 215 गैर मु. गोचर में से रास्ता पहुँचता है तथा ख.नं. 215 मुख्य सड़क से लगता हुआ स्थित है लिहाजा अधीनस्थ आदेश निरस्त योग्य है। यह आदेश RT Act के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ आदेश दिनांक 12.6.2019 निरस्त फरमाकर उचित आदेश प्रदान करावें। वकील अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि ख.नं० 221 में से न्यूनतम / लघुतम दूरी का रास्ता दिया जा सकता है जो प्रदत्त रास्ते से कम दूरी का है। ख.नं० 221 के खातेदार को आवेदक ने पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए उसे सुना जाने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर ख.नं. 221 में से रास्ता दिये जाने पर विचार हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश देने का भी निवेदन किया गया। वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए अपीलांट अधिवक्ता के कथनों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि नजरी नक्शा का अवलोकन करने पर दो रास्ते विकल्प में स्पष्ट दर्शित हैं एक A to B तथा दूसरा C to D। यदि खसरे को दो भागों में विभक्त कर रास्ता दिया जाता है तो रास्ता C to D (मौका फर्द दि. 26-2-19 में दर्शित अनुसार) है तथा	

P.T.O

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	यदि रास्ता खेत को अविभाजित रखते हुए दिया जावे तो रास्ता A से B ही न्यूनतम है। वकील रेस्पोडेंट का कथन है कि रास्ता A to B के समानान्तर दोनों खेतों की सीमा पर प्रार्थीगण (रेस्पाडेन्ट) ने सुरक्षा दीवार भी बना रखी है इसलिए उसके सहारे-2 रास्ता दिया जाता है तो अधिक व्यावहारिक और लघुतम दूरी वाला ही है। उन्होने रिकॉर्ड पर उपलब्ध एक मौका फर्द दि. 5.12.17 की तरफ ध्यान आकर्षित करते बताया कि ख.नं० 220 में लाल स्याही से मार्क ABCD जो रास्ता हेतु प्रस्तावित है मौके पर रास्ता के निशानात कायम है जो बंद किया हुआ है, मार्क ABCD पर पत्थर की दीवार बनी हुई है, बीच में रास्ता हेतु भूमि पड़त है। कराणी रास्ता से मार्क ABCD नजदीक है तथा लंबाई 98 मी० चौड़ाई 6 मीटर कुल रकबा .07 बीघा (अर्थात् 7 बिस्वा) भूमि रास्ता के उपयोग में प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा नजदीकतम कोई रास्ता ख.नं० 222 में आने जाने हेतु नही है। वकील रेस्पाडेंट का यह भी तर्क है कि कराणी रास्ता तिरछा है इसलिए ख.नं० 221 में से इसी चौड़ाई का रास्ता दिया जाने पर न्यूनतम दूरी वाला नहीं होगा, जो सही प्रतीत होता है। दोनों रिपोर्टों में दर्शित नजरी नक्शा के आधार पर प्रदत्त रास्ता सही दिये जाने से अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं उचित है लिहाजा इसे बहाल रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जावे।
	उभय पक्ष की बहस एवं दलीलों पर विचार-मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं रिपोर्ट्स का अवलोकन किया। इनका तुलनात्मक परीक्षण किया। ख नं० 215 गै.मु. गोचर के संबंध में कोई उल्लेख किसी रिपोर्ट में नही है लिहाजा कराणी रास्ता तक पहुंच ही रास्ते के लिए उपयुक्त होगी। ख.नं० 221 और ख.नं० 220 की सीमा उभयनिष्ठ है परन्तु ख.नं० 222 का संपर्क ख.नं० 222 और 221 की सीमा पर चलने के दौरान ख.नं० 221 में पहले आ जाता है जो तीनो खेत ख.नं० 222, 221 व 220 का उभयनिष्ठ बिंदु है। इस बिंदु से [जिसे मौका फर्द दि. 26.02.2019 में "C" से दर्शित कर दिया है] B बिंदु तक की दूरी वाला रास्ता न्यूनतम दूरी वाला होगा। चूंकि खेत ख नं० 220 में यह रास्ता पूर्व से चलता और उपयोग में आता रहा है, जिसके दोनो तरफ दीवार बना रखी है इसलिए यह रास्ता ख.नं० 220 में से दिया जाना ज्यादा तर्कसंगत, व्यावहारिक और लघुतम दूरी वाला है। यह रास्ता AB दूरी 5 जरीब से कम होगा। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दि. 12.6.19 निरस्त किया जाकर मौका फर्द दि. 26.02.2019 में अंकित किये गए बिंदु "C" से B तक 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गोपालगढ़ इस 12 फीट चौड़ाई वाले रास्ते का मौके पर बिंदु "C" से B तक लंबाई का नाप कर इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल की गणना कर नियमानुसार

P.T.O.

[signature]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उसकी DLC दर का दुगुना करके राशी का अवधारण कर अप्रार्थी[redacted] (अपीलांट गवरी) को भुगतान कर ख० नं० 220 ग्राम अराटिया खुर्द में प्रदत्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर इसे आवागमन हेतु सुचारु करें। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। मौका रिपोर्ट दि. 26.2.19 इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ लौटाई जावे। [signature]	